(65)

(57)

प्र. क्र. रिव्यू/ /3/2014 रिव्यू - 1606 - I/14

1. ताजवर जहॉ पुत्री काले खॉ
2 मनावर जहॉ पुत्री काले खॉ, दोनों निवासी ग्राम हैदरगढ़ तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा म0प्र0 .....प्रार्थीगण

बनाम

जमशेद खान आ0ताजवर अली निवासी ग्राम हैदरगढ तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा हाल निवासी मकान नम्बर –02 गली नम्बर 05 अमीरगंज, शाहजहानाबाद भोपाल म0प्र0 .....प्रतिप्रार्थी

...द्वारा श्रीवास्तव, अभि0
दि 24-3-14 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-14
...स्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1006—एक/2014 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10—4—2014	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2225—अध्यक्ष/2013 में पारित आदेश दिनांक 15—1—2014 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :— 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	18/4